



जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(जन-सम्पर्क अनुभाग)
(प्रेस विज्ञप्ति)

विद्युत की तीन महत्वपूर्ण योजनाओं अवधि में तीन माह की बढ़ोतरी
विद्युत एमनेस्टी, वीसीआर निस्तारण एवं स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजनाओं का
फायदा अब 31 दिसम्बर, 2018 तक

जयपुर, 28 सितम्बर। जयपुर डिस्कॉम द्वारा उपभोक्ताओं के लिए लागू तीन महत्वपूर्ण योजनाओं की अवधि को तीन माह बढ़ा दिया है। अब इन योजनाओं का लाभ सम्बन्धित उपभोक्ताओं द्वारा 31 दिसम्बर, 2018 तक उठाया जा सकता है।

जयपुर डिस्कॉम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री आर.जी.गुप्ता ने बताया कि उपभोक्ताओं के अच्छे रुझान को देखते हुए वीसीआर निस्तारण योजना, विद्युत एमनेस्टी योजना और कृषि उपभोक्ताओं के लिए लागू वीसीआर निस्तारण एवं स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना की अवधि को 31 दिसम्बर, 2018 तक बढ़ाया गया है।

विद्युत एमनेस्टी योजना के तहत 31 दिसम्बर, 2018 तक बकाया राशि एकमुश्त जमा करवाने पर ब्याज व पैनल्टी में शत-प्रतिशत छूट देय होगी। योजना के तहत अधरेलू औद्योगिक एवं मिक्स्ड लोड श्रेणी के 31 मार्च, 2017 तक कटे हुए कनेक्शन के उपभोक्ता तथा घरेलू, कृषि, एसआईपी (ग्रामीण) श्रेणी व केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभागों के किसी भी श्रेणी के विद्युत कनेक्शन के नियमित/कटे हुए कनेक्शन के उपभोक्ताओं को योजना का लाभ मिलेगा चाहे उनके कनेक्शन कभी भी कटे हों।

वीसीआर निस्तारण योजना के तहत उपभोक्ता/गैर उपभोक्ताओं द्वारा 31 मार्च, 2018 तक की लम्बित वीसीआर का 31 दिसम्बर, 2018 तक बहुत ही सरल तरीके से अंतिम निस्तारण करवाया जा सकता है। जिसके तहत 50 हजार रुपए तक की वीसीआर राशि पर 50 प्रतिशत एवं यदि वीसीआर की राशि 50 हजार रुपए से अधिक है तो 50 हजार रुपए का 50 प्रतिशत व 50 हजार से अधिक राशि पर 10 प्रतिशत राशि जमा कर वीसीआर का अंतिम निस्तारण करवाया जा सकता है।

कृषि उपभोक्ताओं के लिए वीसीआर निस्तारण एवं स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना के अन्तर्गत कृषि उपभोक्ताओं के लिए लागू लम्बित वीसीआर निस्तारण योजना के अनुसार 31 दिसम्बर, 2018 तक कृषि कनेक्शन के नियमित उपभोक्ताओं की लम्बित वीसीआर का मूल निर्धारण राशि कम्पाउण्डिंग व सिविल लाईबिलिटी की 10 प्रतिशत राशि जमा कराने पर एकमुश्त निस्तारण कर दिया जाएगा। इसके साथ ही कृषि उपभोक्ता अपने बड़े हुए भार की 31 दिसम्बर, 2018 तक स्वैच्छिक घोषणा कर उसको नियमित करवा सकते हैं। योजना के अन्तर्गत एक वर्ष से अधिक अवधि के कृषि कनेक्शन के उपभोक्ता बिना पैनल्टी के मात्र 30 रुपए प्रति हार्स पावर धरोहर राशि (15 रुपए प्रति हार्स पावर प्रति माह की दर से दो माह के लिए) जमा करवा कर बड़े हुए भार को नियमित करवा सकते हैं और जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन को एक वर्ष नहीं हुआ है उनको बड़े हुए भार पर धरोहर राशि के अतिरिक्त कृषि नीति के अनुसार नियमितकरण शुल्क भी जमा कराना होगा।